

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग

सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम (फिन-02), जी.ई.रोड रायपुर (छ.ग.)

फोन नं.-0771-2263070, 2263071, EMAIL-info@cgyuvaayog.com

क्रमांक/छ.ग.रा.यु.आ./निबंध/2025-26/1036

रायपुर, दिनांक 22/05/2025

प्रति,

सहायक संचालक,

खेल एवं युवा कल्याण

रायपुर, दुर्ग, वस्तर, विलासपुर, रायगुजा (छ.ग.)

विषय:- अहिल्या बाई होल्कर जी की जीवनी पर निबंध प्रतियोगिता आयोजन कराने बाबत।

—000—

विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग द्वारा 31 मई 2025 को अहिल्या बाई होल्कर जी की 300 वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश स्तरीय "अहिल्या बाई होल्कर जी की जीवनी" विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 31.05.2025 को किया जाना है। जिसमें जिला मुख्यालय के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं व नेहरू युवा केन्द्र, खेल संघों को भी सम्मिलित किया जावे। निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या संबंधी जानकारी दिनांक 31.05.2025 को छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के ई-मेल आई.डी. info@cgyuvaayog.com में उपलब्ध करावे। उक्त निबंध प्रतियोगिता की उत्तर पुस्तिका तीन दिवस के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग कार्यालय रायपुर में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रतियोगिता संबंधी दिशा-निर्देश निम्नानुसार है : छात्र/छात्रा से संबंधित जानकारी (प्रपत्र)

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. छात्र/छात्रा का नाम | 4. महाविद्यालय का नाम | 7. पालक का मोबाईल नंबर |
| 2. माता/पिता का नाम | 5. जिला | 8. छात्र/छात्रा का पूर्ण पता |
| 3. अध्ययनरत् कक्षा | 6. छात्र/छात्रा का मो. नंबर | |

दिशा निर्देश:-

1. प्रतिभागी को निबंध ए-4 साईज के पेपर में लिखना होगा।
2. निबंध लेखन की अधिकतम सीमा 750 शब्दों की होगी।
3. प्रतियोगिता में बालक/बालिका के लिए प्रथम पुरस्कार रु. 11,001/- द्वितीय पुरस्कार रु. 5,001/- एवं तृतीय पुरस्कार रु. 3,001/- पृथक-पृथक रखे गये हैं, इसके अतिरिक्त 05 बालक एवं 05 बालिका प्रतिभागियों को रु. 1101/- का सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया जावेगा।
4. प्रतियोगिता से संबंधित पूछताछ के लिये आयोग के मो.नं.-7067170796 व दूरभाष कं. 0771-2263070/71 पर सम्पर्क किया जा सकेगा।
5. निर्णायक समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
6. उक्त प्रतियोगिता का प्रचार-प्रसार दूरभाष, व्हाट्स एप व समाचार पत्रों के माध्यम से किया जावे।

(अध्यक्ष महो.द्वारा आदेशित)

सहायक संचालक
छ.ग.रा.यु.आ.आयोग
छत्तीसगढ़ (छ.ग.)